नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2022

सा. का. नि. 124.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय, शिलांग वर्ग 'ग' पद भर्ती नियम, 2004 को, जहां तक इसका संबंध ट्रेसर पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय, पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय, शिलांग में ट्रेसर पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय, शिलांग, ट्रेसर वर्ग 'ग' पद भर्ती नियम, २०२२ है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर– उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूचि के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूचि के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता–** वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति–** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति–** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ें वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ट्रेसर	1* (2022)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-3 (21700-69100 रु.)	लागू नहीं होगा।

	*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।			

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु- सीमा-	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।
(6)	(7)	(8)
18 से 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल की जा सकती हैं।) **टिप्पण :-** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, संघ राज्यक्षेत्र लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बाउपखंड पांगी के जिले-, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) कर्मचारी आयुसीमा, अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिसे कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की गई हो।	**आवश्यक:** 1) मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12 वीं कक्षा या इसके समतुल्य उत्तीर्ण। **वांछनीय:** ट्रेसर के रूप में कम-से-कम एक वर्ष का अनुभव।	लागू नहीं होता

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	**भर्ती की पद्धति :** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलनद्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्त द्वारा	**प्रतिनियुक्ति :** केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधकारी जो :- (क) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है और (ख) स्तम्भ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित किए गए अनुभव और	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1 निदेशक या उप सचिव (प्रशासन), पूर्वोत्तर - अध्यक्ष	लागू नहीं होता।

		शैक्षणिक अर्हताएं रखता हो। **टिप्पण 1:-** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 2 :-** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।	परिषद 2 कार्यपालक इंजीनियर (सिविल), पूर्वोत्तर परिषद्, सचिवालय, शिलांग - सदस्य 3 सहायक सचिव, पूर्वोत्तर परिषद्, सचिवालय, शिलांग - सदस्य	

[फा. सं. NEC-17/39/2020-O/o US (NEC)]

अंजना, अवर सचिव

New Delhi, the 27th July, 2022

G.S.R. 124.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the North Eastern Council Secretariat, Shillong Group 'C' Recruitment Rules, 2004, in so far as they relate to the post of Tracer, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Tracer in the Ministry of Development of North Eastern Region, North Eastern Council Secretariat, Shillong, namely :-

1. **Short title and commencement.- (1**) These rules may be called the North Eastern Council Secretariat, Shillong, Tracer (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix.-** The number of said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.-** The method of recruitment to the said post, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.-** No person,-
   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage, and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules in respect of any class or category of persons.

6. Savings.- Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Schedules Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tracer	1* (2022) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted	Level 3 (Rs.21700-69100)	Not applicable

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotes.
(6)	(7)	(8)
Between 18 and 27 years of age. (Relaxable for Government servants in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.) **Note 1:** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Ladhak, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.) **Note 2:** The crucial date for the determining the age limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	**Essential:** (i) 12th Class or equivalent qualification from a recognized Board or University. **Desirable:** At least one year's experience as Tracer.	Not applicable.

Period of probation, if any.	**Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods**	**In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.**
(9)	(10)	(11)
Two years	By direct recruitment failing which by deputation	**Deputation:** From amongst the officers under the Central Government: (a) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department and (b) Possessing educational and other qualifications as prescribed in column (7) for direct recruits. **Note 1:** Period of deputation including period of another ex-cadre post held immediately preceding this

		appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years). **Note 2:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of : 1. Director or Deputy Secretary (Administration), North Eastern Council- Chairman 2. Executive Engineer (Civil), North Eastern Council Secretariat, Shillong - Member 3. Assistant Secretary, North Eastern Council Secretariat, Shillong –Member.	Not applicable.

[F. No. 17/39/2020-O/o US (NEC)]

ANJANA, Under Secy.